

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 305 / संचा.-वि.स. / 2026
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 18/02/2026

- | | |
|--|--|
| 1. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर | 2. प्रबंध संचालक,
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग. |
| 3. रजिस्ट्रार,
छ.ग.राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
आयोग रायपुर | 4. सदस्य सचिव,
छ.ग. राज्य खाद्य आयोग,
अटल नगर, नवा रायपुर |

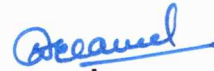
विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1280 अतारांकित द्वारा श्री धरमलाल कौशिक,
सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

---00---

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1280 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 19.02.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 27/02/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण
विषय : विभाग के अधीनस्थ निगम/मण्डल/आयोग के राज्य व जिला कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय करने व सेवा प्राप्त करने हेतु आमंत्रित निविदा

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1280) श्रीधरमलाल कौशिक

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि अप्रैल, 2025 से दिनांक 10-02-26 तक रायपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में स्थित खाद्य विभाग व विभाग के अधीनस्थ निगम/मण्डल/आयोग के राज्य व जिला कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय करने व सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हाँ तो कौन-कौन सी निविदा जेम पोर्टल(GeM) के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम/प्रकार से जारी की गई तथा कब-कब, किसको व किस दर पर स्वीकृत की गई है? जेम के अतिरिक्त अन्य माध्यम/प्रकार से निविदा आमंत्रित करने स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा कब व किन नियमों के आधार दी गई है? पदवार व नामवार तथा निविदावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्रांश क अवधि में उक्त संस्थाओं द्वारा कब-कब ईओआई(EOI) किन-किन कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत उल्लेखित किन-किन नियमों के आधार पर आमंत्रित व स्वीकृत की गई है? यदि ईओआई(EOI) का प्रावधान भण्डार क्रय नियम में नहीं है तो किस आधार पर आमंत्रित की गई है? ईओआई वार जानकारी देवें? (ग) इन उपरोक्त निविदाओं पर कब, किसके द्वारा, किस संबंध में एवं किसको शिकायत की गई तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई? दोषी कौन पाया गया? शिकायतवार जानकारी देवें?

Sent From : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण | Sent Date : 17/02/2026 03:27:44 | Target Date : 23/02/2026

Remark : उक्त विधान सभा का उत्तर दिनांक 23.02.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।[✉ Reply To खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण](#) | [Forward](#) |**Offices Reply Detail (आपके कार्यालयों के उत्तर) :** ^

NAN/SWC/
Consumer forum/ Khadya
Directorate

Print Question Only

Print Question With Office Detail